कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्री रोशनलाल | **विपक्षी** श्री मोहनलाल व अन्य

किस्म प्रा.प. आदेश–9 नियम–4 सपठित धारा–151 जा.दी. | **प्रकरण संख्या** 86/2019

कार्यवाही विवरण

25–03–2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–4 जा.दी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि आप न्यायालय में वाद बाबत् घोषणा एवं पांती बंटवाडा, स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। प्रकरण प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक 29–07–2019 को नियत था। वादी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय मे पेशी होने के कारण वहा व्यस्त हो गये थे। दुबारा आवाज पडने पर वादी वकील अन्य न्यायालय मे व्यस्त होने से न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके जिस कारण पत्रावली एक तरफा आदेश कर पत्रावली को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। वादी ने कोई जानबुझकर उपस्थित होने मे चुक नही की है। मानवीय भूल के कारण चुक हुई है। जिसे सुधारना न्यायहित मे आवश्यक है । अतः निवेदन है कि प्रार्थी का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराने की आज्ञा फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय मेहता हाजिर आये। विपक्षी संख्या 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 01–10–2024 को विपक्षी संख्या 2 का जवाब का अवसर बन्द किया गया। शेष बावजुद तामील के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सूनी गई। प्रकरण की मूल पत्रावली रेकार्ड से तलब की गई जिसका अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा नियत दिनांक को उपस्थित नही होने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कि गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा–151 जा.दि. का स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण 85/2016 रा.वा. उनवान श्री रोशनलाल बनाम श्री मोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 29–07–2019 को अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण को पूनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर पर लिये जाने को आदेश दिया जाता है। मूल प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 23.04.2025 नियत की जाती है। पक्षकार मूल प्रकरण में दिनांक 23.04.2025 उपस्थित होवे।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर
जिला सलूम्बर

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला–सलूम्बर

प्रार्थी– श्री तुलसीराम **विपक्षी**– सरकार

किस्म मुकदमा–धारा 136 एल.आर.एक्ट. **पत्रावली संख्या**– 132 /2022

दिनांक		
25–03–2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित। जिन्होने जवाब पेश किया जिसे शा.फा. किया गया। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा खराडी भागल पटवार हल्का डगार तहसील सलूम्बर में खाता संख्या 13 कुल किता 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी तुलसीराम पिता भेरा मीणा का 1/10 हिस्सा है लेकिन राजस्व विभाग की गलती से उक्त भूमि में प्रार्थी तुलसीराम पिता भेरा मीणा के बजाय प्रार्थी का नाम थावरा पिता भेरा मीणा अंकित कर दिया है जो गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम तुलसीराम पिता भेरा मीणा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौजा खराडी भागल पटवार हल्का डगार मे प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 13 कुल किता 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम थवरा पिता भेरा मीणा के स्थान पर तुलसीराम पिता भेरा मीणा दुरस्त कराये जाने का आदेश फरमावें। पटवारी हल्का **डगार** भू.अ.निरीक्षक **बरोडा** से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। नायब तहसीलदार सलूम्बर द्वारा मौजा खराडीभागल खाता संख्या 13 मे प्रार्थी का नाम थवरा पिता भेरा मीणा के स्थान पर तुलसीराम पिता भेरा मीणा शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई है। **–::आदेश::–** अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा अनुसार **मौजा खराडीभागल** पटवार हल्का डगार खाता संख्या 13 कुल किता 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि मे अंकित नाम थावरा पुत्र भेरा के बजाय तुलसीराम पिता भेरा मीणा शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। (शान्ति लाल जैन RAS) उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	

सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)